न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह
बइजलास श्री शिवराज मीणा आर० ए० एस० उपखण्ड अधिकारी

मि० नं० 46/2022 ता० रजू 22.01.2022

उनवान

1. प्रहलाद पुत्र मिश्री जाति बलाई निवासी कुहाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह।
2. धनराज पुत्र छोटू जाति बलाई निवासी कुहाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह।
3. आशीष माता सीमा पुत्र दुर्गालाल जाति बलाई निवासी जूनियां तहसील केकडी।
4. माया माता सीमा पुत्री दुर्गालाल जाति बलाई निवासी जूनियां तहसील केकडी।
5. दिलखुश माता सीमा पुत्र दुर्गालाल नाबालिग जरियें संरक्षक पिता दुर्गालाल पुत्र गोकुल जाति बलाई निवासी जूनियां तहसील केकडी।
6. दुर्गालाल पुत्र गोकुल जाति बलाई निवासी जूनियां तहसील केकडी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. तहसीलदार/लैण्ड होल्डर तहसील टोड़ारायसिंह

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act
बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :–

1. श्री बलराम चौपड़ा
   अधि० प्रार्थीगण
2. पेरोकार सरकार

आदेश दिनांक:– 1)/5/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि आराजी खसरा नं0 2893 रकबा 0.51 है0, 2152 रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम कुहाड़ाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह में स्थित है। जो प्रार्थीगण को उनके पिता व दादा से विरासत में प्राप्त हुई है। आराजी खसरा नं0 2893 रकबा 0.51 है0 प्रार्थी नं0 1 व 2 के तथा प्रार्थीगण 3 ल0 6 की माता व पत्नी एवं प्रार्थी नं0 1 के सगे भाई भैरू व प्रार्थी संख्या 2 के बड़े पिता एवं प्रार्थीगण नं0 3 ल0 6 के नाना व बड़े ससुर भैरू के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। खसरा नं0 2152 रकबा प्रार्थीगण के भाई, बडे पिता, नाना व काकी ससुर भैरू के अकेले के नाम दर्ज है। भैरू की दिनांक 05.09.2015 को व प्रार्थीगण 3 ल0 6 की माता व पत्नी सीमा की दिनांक 01.09.2018 को मृत्यु हो गई है। भैरूलाल पुत्र जगन्नाथ फौत होने से प्रार्थीगण ही मृतक भैरू के उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत द्वितीय श्रेणी के वारिस है। मिश्री के तीन बेटे हुए भैरू, छोटू व प्रहलाद साबिक राजस्व रिकार्ड में उनके नाम मिश्री की विरासत राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई परन्तु खसरा नं0 2893 में प्रार्थी नं0 1 प्रहलाद पुत्र मिश्री धनराज व मृतक भैरू के पिता मिश्री के आगे हाल रिकार्ड में धनराज का जो अंकन किया गया है। वह हटाया जावें। खसरा नं0 2152 में मृतक भैरू मिश्री का लडका होने तथा जगन्नाथ का पोता होनें के नाते भैरू पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर भैरू पुत्र मिश्री पि0मु0 दादा जगन्नाथ दर्ज किया जावें।

प्रार्थीगण ने दिनांक 12.01.2022 को तहसीलदार को उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त व सहीं करवानें हेतु निवेदन किया तो उन्होनें इन्कार करनें पर यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि खाता संख्या 274 में वर्णित खसरा नं0 2893 में प्रार्थी संख्या 1 प्रहलाद पुत्र मिश्री धनराज व मृतक भैरू पुत्र मिश्री धनराज जो दर्ज किया गया है। वह गलत है। प्रार्थी प्रहलाद व मृतक भैरू के पिता मिश्री के आगे हाल रिकार्ड में धनराज का जो अंकन किया गया है। वह हटाया जावें तथा खाता संख्या 527 में वर्णित खसरा नं0 2152 में मृतक भैरू मिश्री का लड़का होने तथा जगन्नाथ का पोता होनें के नाते भैरू पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर भैरू पुत्र मिश्री पि0मु0 दादा जगन्नाथ दर्ज किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश होनें पर तलबी जवाब जारी की गई। जिस पर अप्रार्थी की और से जवाब पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 274 खसरा नं0 2893 रकबा 0.51 है0 में दर्ज खातेदार प्रहलाद पुत्र मिश्री धनराज हिस्सा ... व भैरू पुत्र मिश्री धनराज हिस्सा 1/3 के बजाय प्रहलाद पुत्र मिश्री हिस्सा 1/3 व भैरू पुत्र मिश्री हिस्सा 1/3 दर्ज किया जाना उचित है। तथा जमाबंदी ग्राम कुहाडाबुजुर्ग सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 557 के खसरा नं0 2152 रकबा 1.20 है0 में कोई परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। क्योंकि आंवटन भैरू पुत्र जगन्नाथ के नाम से ही होकर गैर खातेदारी दर्ज हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:31:39 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner